

अंतरराज्यीय ट्रैक्टर तस्करी सिंडिकेट का सरगना सीआईडी के हथ्थे चढ़ा

आरोपी पिछले 12 साल से फरार है, उस पर 50 हजार रु. का इनाम घोषित है

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। सीआईडी (सीबी) पुलिस मुख्यालय की स्पेशल टीम ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपए के इनाम अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अंतरराज्यीय ट्रैक्टर वाहन तस्करी सिंडिकेट का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गिराव के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है।
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश और अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) विपिन कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी आबिद मेवाती पुत्र खुशीला, निवासी जंगली का नगला,



आरोपी आबिद मेवाती

थाना बरसाना, जिला मथुरा को वहीं से दस्तयाब किया गया।
महानिरीक्षक पुलिस परम ज्योति के सुपरविजन में उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली कि आरोपी मथुरा में एक

■ बताया जा रहा है कि आरोपी वर्ष 2012 से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और अब तक 1500 से 2000 से अधिक ट्रैक्टरों की अवैध बिक्री कर चुका है। प्रत्येक वाहन पर करीब 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जाता था।

शुद्धी समारोह में शामिल होने आने वाला है। इस पर टीम ने स्थानीय पुलिस और बूंदी पुलिस को मदद से कुसुम वाटिका में घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया।
अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) विपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उग्र भीड़ ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए आरोपी को सुरक्षित हिरासत में लेकर पुलिस थाना हाईवे, मथुरा पहुंचाया, जहां से

उसे बूंदी पुलिस को सुपुर्द किया गया।
जॉर्ज में सामने आया कि आरोपी अपने गिराव के साथ मिलकर अलग-अलग राज्यों में ट्रैक्टर लोन पर खरीदता था, फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें टों में लोड कर उत्तर प्रदेश के छाता क्षेत्र में भेज देता था। वहां इन वाहनों की अवैध खरीद-फरोख्त कर भारी मुनाफा कमाया जाता था। बताया जा रहा है कि आरोपी वर्ष 2012 से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और अब तक 1500 से 2000 से अधिक ट्रैक्टरों

की अवैध बिक्री कर चुका है। प्रत्येक वाहन पर करीब 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जाता था।
आरोपी के खिलाफ राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न था।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार, करणी सिंह, रविन्द्र सिंह, कृष्णगोपाल, अरुण कुमार, कुलदीप और कांस्टेबल नरेश कुमार की विशेष भूमिका रही। साथ ही एसआई शंकर दयाल शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों का तकनीकी सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा।

भव्या योजना से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में अत्याधुनिक औद्योगिक हब विकसित करने एवं भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को बेहतर अवसरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या योजना के अंतर्गत 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।
केंद्र सरकार द्वारा भव्या योजना (बिल्डिंग हाई इम्पेक्ट वैल्यू यार्ड्स फॉर एक्सलरेटेड डेवलपमेंट) देश में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है जिसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जायेगा। प्रत्येक चरण में 50 औद्योगिक क्षेत्रों को निर्धारित अर्हताओं के आधार पर चयनित किया जायेगा। यह योजना केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के नेतृत्व में संचालित होगी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस योजना के लिये क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
इसके अंतर्गत चयनित औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु अधिकतम एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ का वित्तीय

- राज्य सरकार ने 5 औद्योगिक हब विकसित करने के प्रस्ताव दिये
- बेहतर आधारभूत ढांचे से निवेशक आकर्षित होंगे और रोजगार बढ़ेगा

सहयोग प्रदान किया जायेगा जबकि भूमि की उपलब्धता राज्य की नोडल एजेंसी को सुनिश्चित करने होगी।
भव्या योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिये राज्य सरकार ने बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं दीपा जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों को लोकेशन दिल्ली-मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस योजना के लिये क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत चिन्हित क्षेत्रों का चयन करते समय कनेक्टिविटी, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक भूमि की मांग,

भंडारण की सुविधा, पास में नगरीय क्षेत्र आदि कारकों का ध्यान रखा है जिससे राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में इस योजना का अधिकतम लाभ लिया सके। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इन औद्योगिक हब में अत्याधुनिक ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
इस योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता से चयनित औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्लस्टरिंग का लाभ मिलेगा। परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल अपनाया जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए चयनित लोकेशन पर समुचित भूमि उपलब्ध है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से एवं तय समय में पूर्ण किया जा सकेगा।
बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने से निवेशक भी आकर्षित होंगे वहीं राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

सीएचओ भर्ती-2020 पेपर लीक का आरोपी जालौर से गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान में संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने इस संगठित गिराव के सक्रिय सदस्य गणपत लाल मालवाड़ा (31) निवासी जालौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुख्य सूत्रधार भूपेन्द्र सारण का करीबी सहयोगी रहा है और पेपर लीक की साक्षिण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।



आरोपी गणपतलाल मालवाड़ा

■ एसओजी इस मामले में 20 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है

मीणा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गणपत लाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 21वां आरोपी है।
पूछताछ में सामने आया है कि गणपत लाल ने न केवल भूपेन्द्र सारण को सहयोग किया, बल्कि पेपर लीक के माध्यम से अभ्यर्थियों को संगठित रूप से एकत्रित करने और उन्हें लाभ पहुंचाने में भी शामिल रहा।
एसओजी अब आरोपी से इस गिराव के अन्य नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि गणपत से पूछताछ में भर्ती परीक्षाओं में सक्रिय अन्य पूर्णों के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

कांग्रेस ने रिफाइनरी में कई घोटाले किए : मुख्यमंत्री

चूरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देशहित से जुड़े हर मुद्दे का विरोध किया है। इनके नेता महिला आरक्षण का विरोध और सेना का अपमान करते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम से महिलाओं को आरक्षण मिले, इनका काम ही विरोध करना है। उन्होंने कहा कि धारा 370 का कांग्रेस ने विरोध किया।
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग वे ही हैं, जो शेखावाटी के लिए हमेशा यमुना के जल का सपना दिखाते थे। चुनाव आते थे तब झूठ के पुल बनाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने रिफाइनरी में कई तरह के घोटाले और जमीनों के घोटाले किये। इनमें कांग्रेस के लोग कैसे काम कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इनका हिसाब लेना चाहिए।

जवाहर सर्किल के पास 13 बीघा भूमि मामले में जेडीए की अपील मंजूर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 51 वर्ष पहले अवाप्त जमीन के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण को राहत दी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 51 वर्ष पहले अवाप्त जमीन के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण को राहत दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत जमीन देने के फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश जेडीए की अपील को मंजूर करते हुए दिए।
जेडीए की ओर से अपील में अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिस मामले में जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित

■ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के द्वारा दिए गए आदेश को खारिज किया

जमीन देने का आदेश दिया, उसमें अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा कोर्ट में जमा कराया जा चुका है और उस जमीन पर 2017 में कब्जा लेकर फॉर्मिंग कराई जा चुकी है। इस तथ्य को याचिकाकर्ता काशकार ने छिपाया और उसके आधार पर एकलपीठ ने विकसित जमीन देने का आदेश दिया। इसके विपरीत काशकार रणजीतसिंह मीना के उत्तराधिकारियों की ओर से कहा गया कि अवाप्त 2005

से पहले की है, इसलिए एकलपीठ का आदेश सही है। न काशकारों को मुआवजा मिला है और न ही कब्जा लिया गया है। इस मामले में अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित जमीन देने की राज्य सरकार की गारंटीबद्धता लागू होती है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए की अपील को मंजूर करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।
मामले के अनुसार अवाप्त को काशकारों ने वर्ष 1974 में याचिका के जरिए चुनौती दी, जिसे हाईकोर्ट ने मई 1975 में खारिज कर दिया। साल 1975 में फिर याचिका दायर की गई, जो मार्च 1978 में निस्तारित कर दी गई।

विवाद अदालत में लंबित होने के कारण जेडीए ने 1979 में मुआवजा राशि कोर्ट में जमा कराया।
साल 2010 में काशकार रणजीत सिंह की ओर से याचिका दायर की गई, जो अगस्त 2012 में खारिज कर दी गई। इसके खिलाफ पेश एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी। इसके बाद कई बार अलग-अलग याचिका दायर हुईं, जो खारिज हुईं।
वहीं साल 2023 में फिर याचिका दायर हुई, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में काशकार के परिवार को 20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित जमीन देने का आदेश दिया।

बी.सी.आर. चुनाव में अव्यवस्था के बाद हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट पोलिंग बूथ का मतदान रद्द

इन दोनों जगहों पर जल्द ही नई चुनाव तिथि घोषित की जाएगी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के 23 सदस्यों के चुनाव बुधवार को प्रदेशभर में आयोजित हुए। हालांकि इस दौरान जयपुर में हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में पोलिंग बूथ पर हुई अव्यवस्था और पारदर्शिता के अभाव के चलते मतदान प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। यहां जल्दी ही नई चुनाव तिथि घोषित की जाएगी।
हाईकोर्ट जयपुर के पोलिंग ऑफिसर अधिवक्ता बसंत सिंह छावा ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा था और इसमें अव्यवस्था सामने आ रही थी। इन कारणों से ही हाईकोर्ट में बीसीआर चुनाव रद्द किया गया है। हाईकोर्ट प्रदेशभर में बीसीआर चुनाव



बार कौंसिल के चुनाव में बुधवार को अव्यवस्था के बाद अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया।

मतदान निरस्त करने का निर्णय लिया। सेशन कोर्ट में मतदानियों की संख्या 5439 है और यहाँ पर भी बागरू के 57 मतों के लिए भी मतदान होना था। हाईकोर्ट बूथ पर मतदान करीब 50 मिनट देरी से शुरू हुआ और हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस वीएस दवे ने पहला मत दिया, लेकिन इसके बाद ही मतदान प्रक्रिया में अव्यवस्था होना और पारदर्शिता नहीं होने के कारण चुनाव को रद्द कर दिया। चुनाव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुधांशु धूलिया की निगरानी में हो रहे हैं और राजस्थान में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जे आर मिश्रा की तीन सदस्यीय कमेटी के पास है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस मनोज गर्ग राज्य स्तरीय ऑब्जर्वर बनाए गए हैं।

मतदान निरस्त करने का निर्णय लिया। सेशन कोर्ट में मतदानियों की संख्या 5439 है और यहाँ पर भी बागरू के 57 मतों के लिए भी मतदान होना था। हाईकोर्ट बूथ पर मतदान करीब 50 मिनट देरी से शुरू हुआ और हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस वीएस दवे ने पहला मत दिया, लेकिन इसके बाद ही मतदान प्रक्रिया में अव्यवस्था होना और पारदर्शिता नहीं होने के कारण चुनाव को रद्द कर दिया। चुनाव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुधांशु धूलिया की निगरानी में हो रहे हैं और राजस्थान में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जे आर मिश्रा की तीन सदस्यीय कमेटी के पास है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस मनोज गर्ग राज्य स्तरीय ऑब्जर्वर बनाए गए हैं।

कटार के साथ बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। सिंधी कैप पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक शातिर बदमाश को दबोचा है, जिसके कब्जे से एक अवैध धारदार कटार बरामद की गई है।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि शहर में अवैध हथियारों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी थानाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार गुप्ता और सहायक पुलिस आयुक्त (सदर) धर्मवीर सिंह के सुपरविजन में पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी।
थानाधिकारी माधोसिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोहसिन (23) को गिरफ्तार किया। आरोपी भट्ठा बस्ती के शहीद इंदिरा ज्योति नगर का निवासी है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध धारदार कटार मिली, जिसे पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया।

खान अभियंता पद की पदोन्नति पर अंतरिम रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक खान अभियंता से खान अभियंता के पद पर गत 28 जनवरी को दी गई पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश पुणेन्द्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता एसए राठौड़ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को साल 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति दी गई, जबकि उससे जूनियर को एक साल पूर्व साल 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया। याचिका में कहा गया कि साल 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता को यह कहते हुए पदोन्नति नहीं दी गई थी कि उसे परिनिदा का दंड दिया गया था। जबकि राज्य सरकार के 22 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र के अनुसार परिनिदा का दंड पदोन्नति के आड़े नहीं आया। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को पदोन्नत नहीं कर उसके जूनियर को पदोन्नत देना नियमों के खिलाफ है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 28 जनवरी को दी गई पदोन्नति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व अन्य से जवाब तलब किया है।

एआई से बना रहे थे न्यूज चैनल का फर्जी वीडियो

जयपुर पुलिस ने गिराव का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को दबोचा
जयपुर। तकनीकी के दुरुपयोग से समाज में भ्रम फैलाने वाली के खिलाफ जयपुर साइबर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने न्यूज चैनल के लोगो और एंकर की आवाज का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फर्जी वीडियो बनाने वाले गिराव का भंडाफोड़ करते हुए चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि 18 अप्रैल को परिवारी सत्यनारायण शर्मा ने मामला दर्ज कराया था कि फेसबुक पर एक एआई जनित रील वायरल की जा रही थी, जिसमें न्यूज चैनल के रूडिओ बैकग्राउंड और एंकर की आवाज को एडिट कर भ्रामक जानकारी परोसी गई थी। लोग इसे सच मानकर धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएफएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. अजय सिंह और पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजेश राज के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर फर्जी वीडियो के मूल स्रोत की पहचान की। पुलिस ने दक्षिण देकर इस साक्षिण में शामिल चार मुख्य किरदार बिलाल खान (27) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, इनाम अहमद (29) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, निखिल प्रजापत (22) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश और अमृता धुमाल (37) निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया है।
जॉर्ज में सामने आया कि आरोपियों ने हाई-टेक, एआई टूल्स का उपयोग कर न्यूज क्लिप को एडिट किया। उन्होंने एंकर को एआई को क्लोन किया और सुनिश्चित तरीके से इसे सोशल मीडिया पर वायरल कराया। पुलिस की तकनीकी टीम अजय यह पता लगा रही है कि इस वीडियो को बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या इसमें कोई बड़ा वित्तीय हित जुड़ा था। इस त्वरित कार्रवाई में साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस अधिकारियों की टीम शामिल रही, जिसमें थानाधिकारी और तकनीकी सहायकों ने एआई जनित वीडियो के डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा कर आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की।

कौशल शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हो : हरिभाऊ बागडे

नैतिक मूल्यों की शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता में वृद्धि होती है : राज्यपाल

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि कौशल शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसके पास अच्छा कौशल है, उसे सभी स्थानों पर काम मिलता है, वह कभी भूखा नहीं रहता। उन्होंने कौशल शिक्षा के साथ विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। राज्यपाल बागडे बुधवार को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजक रूप से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह भले ही छोटे स्तर पर ही हो, परंतु नियमित होना चाहिए। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ते



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

■ 'अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा को बदल कर गुलाम मानसिकता की शिक्षा प्रदान की'

रोके जाने की शिक्षा दी जाए। उन्होंने इसके लिए शिक्षकों को स्वयं को अपडेट रखते हुए शिक्षा का प्रभावी विकास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अच्छा नागरिक बनाने के साथ आदर्श आचरण पर विशेष जोर दिया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि आजादी से पहले देश में आठ लाख से अधिक गुरुकुल थे। इनमें सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों ने भारत की इस शिक्षा को बदल कर गुलाम मानसिकता की शिक्षा प्रदान की। बागडे ने विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार बताते हुए कहा कि वह ब्राह्मण के प्रथम ईजांनियर थे। उन्होंने

एम. विश्वेश्वरैया को याद करते हुए उनके अभियांत्रिकी कौशल और समय पाबंदी से सीख लेने का आनंद बताया। उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री जनेल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जो कुछ विद्यार्थी सीखे उसका दायरा सीमित नहीं रहे।
उन्होंने विद्यार्थियों को सृजनात्मक रहने, निरंतर दूसरों से सीखते हुए अपने कौशल से दुनिया को बदलने, विकसित किए जाने का आह्वान किया। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. देवस्वरूप ने सभी का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले विश्वविद्यालय के बारे में फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने इससे पहले विद्यार्थियों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के साथ उन्हें नकल करने की प्रवृत्ति से

रहेगी। साथ ही सायंकाल 4 बजे से सांगानेरी गेट, घाटगेट चौराहा, घोबीघाट, रामगंज मोड और संजय सर्फिल से मिनी व सिटी बसों का संचालन परकोटा क्षेत्र में बंद रहेगा।
हवामहल बाजार, जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और गंगौरी बाजार में भी शाम 4 बजे से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन और पार्किंग निषेध रहेगी। विभिन्न प्रमुख मार्गों जैसे सुधास चौक, बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़, सांगानेरी गेट और त्रिपोलिया की ओर आने वाले यातायात को डायवर्ट कर वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। इसके अलावा न्यू गेट, रामनिवास बाग चौराहा, नेहरू बाजार और त्रिपोलिया गेट-पाईंट से चौड़ा रास्ता की ओर किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जाने दिए जाएंगे। छोटी चौपड़ और त्रिपोलिया क्षेत्र में भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा।